



राजस्थान सरकार  
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ-12 (25) एन.आर.एच.एम / आयुष / 09 / 5485

दिनांक: 24.5.16

कार्यालय आदेश

एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत पदस्थापित जिला समन्वयक आयुष, आयुष चिकित्सकों एवं कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर्स को नियमानुसार की गई राजकीय यात्राओं/बैठकों आदि के लिए मोबिलिटी/यात्रा भत्ता निम्नानुसार देय होगा :-

क्र.सं.	पदनाम	भुगतान हेतु निर्धारित मद्
1	जिला समन्वयक आयुष	District Programme Management Unit
2	आयुष चिकित्सक/प्रभारी अधिकारी	Block Programme Management Unit
3	कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर्स	Block Programme Management Unit

उपरोक्तानुसार यह व्यय "आर.सी.एच.-II / एन.आर.एच.एम. फ्लेक्सीपूल" से किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(डॉ. प्रीतम बी. धशकन्त)  
मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम.

क्रमांक: एफ-12 (25) एनआरएचएम/आयुष/09/ 5485

दिनांक: 24.5.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., मुख्यालय, जयपुर।
4. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त जिले) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
6. स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, मुख्यालय, एन.आर.एच.एम., जयपुर।
7. जिला समन्वयक आयुष (समस्त जिले)।
8. कन्सलटेन्ट, प्लान/एच.आर.डी., एन.आर.एच.एम., जयपुर।
9. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय बैकसाइट पर शीघ्र जारी करें।
10. रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम